बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं०सं०:–3/अ०प्र०–1–76/2020 2148 /पटना, दिनांक :– 28-11-24

श्री युगेश्वर कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, सुपौल ने उक्त प्रमंडल अन्तर्गत संवेदक नारायण कन्सट्रक्शन द्वारा निविदा आई०डी० सं०–67411, Bid id 304526 के निविदा में अग्रधन के रूप में प्रयुक्त बैंक गारंटी संख्या–2018/48 का State SBD की कंडिका 16.1.d में निहित प्रावधान के अनुरूप एकरारनामा संपादित होने से पूर्व विधिवत् सत्यापन नहीं कराया गया तथा एकारारनामा को निष्पादित किया गया, जिसकी जाँच में प्रयुक्त बैंक गारंटी फर्जी पाया गया। उक्त आरोपों के लिए श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के आधार पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक–878 अनु0 दिनांक 29.04.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी (मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग) के पत्रांक 1845 अनु0 दिनांक 23.06.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन एवं मंतव्य समर्पित किया गया, जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित होने का समेकित निष्कर्ष प्राप्त हुआ।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षोपरांत इससे सहमत होते हुए संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति श्री सिंह को भेजते हुए विभागीय पत्रांक 987 अनु0 दिनांक 10.04.2024 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया।

श्री सिंह द्वारा अपने पत्रांक 788 अनु0 दिनांक 25.04.2024 के माध्यम से द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया। श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत यह स्पष्ट हुआ कि श्री युगेश्वर कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, सुपौल द्वारा Bank Seal एवं Signature मे कोई तिथि एवं Reference अंकित नहीं रहने पर इसे संदेहात्मक मानते हुये पुनः ई–मेल/रजिस्ट्रड डाक/विशेष दूत के माध्यम से इसका सत्यापन तत्काल कराया जाना चाहिये था, जो कि इनके द्वारा एकारारनामा के पश्चात् कराया गया। इस त्रुटिपूर्ण सत्यापन से उनके कार्य मे लापरवाही स्पष्ट होती है। वित्तीय मामलों के जाँच मे प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी के साथ–साथ प्रमंडलीय पदाधिकारी का दायित्व अपेक्षित है। ऐसी परिस्थिति मे श्री सिंह को स्वयं भी अपने स्तर से कार्रवाई करनी चाहिए थी। हालांकि Bank Guarantee के फर्जी साबित होने के उपरांत तुरंत ही श्री सिंह द्वारा एकरारनामा को विखंडित करते हुये राशि जब्त करने की कार्रवाई की गई।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री युगेश्वर कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सुपौल के द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (v) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic.in

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री युगेश्वर कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सुपौल सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हाजीपुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (v) के तहत निम्नांकित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

(i) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक मे प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डॉ फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–76/2020 2948 /पटना, दिनांक :– 28-11-24

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, वैशाली/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–76/2020 2948 /पटना, दिनांक :– 28-11-24

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/प्रभारी पदाधिकारी ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, मर्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सुपौल/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री युगेश्वर कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सुपौल सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@